

हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

123 पञ्चवली पेश डई वकील शर्मा 34 रिपोर्ट 10R अपाप्त।
पुनः लिखा जावे। पञ्चवली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट 10R
दि 29/11/24 को पेश हो।

29/11/24 पञ्चवली पेश डई वकील शर्मा 34 रिपोर्ट 10R अपाप्त।
शां.पा. की गई बहस वकील शर्मा सुनी गई।
पञ्चवली वास्ते आदेश दि. 13/12/24 को पेश हो।

18/12/24 पञ्चवली पेश डई वकील शर्मा 34 शां.पा. शर्मा खीका
किया जाऊ निगथि खुले न्यायालय सुनाया 12/12/24
विस्तृत निगथि पृथक से लिखा जाऊ शां.मि.
किया जायदा पञ्चवली फंसल शुमार होऊ नम्बर से
क्रम हो। वाद तामील तक्रील निममानुसार दाखिल
दलल हो।

हम



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री हरबिन्दर डी सिंह R.A.S

मिसल नं०
39/प्रा०पत्र/2022
(ऑन लाईन नम्बर 2022/69)

तारीख दायर
22.04.2022

तारीख फैसला
13.02.2024

श्री उमाशंकर आ० श्री जमनाशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरिया कलों तहसील तालेडा जिला बून्दी
.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री उच्छबलाल आ० श्री गोरघन जाट जाति जाट निवासी ग्राम जलोदी तहसील तालेडा
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज०)
.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थिया:- श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थी:- श्री रामरतन सुमन

- :: निर्णय :: -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 मू-राजस्व अधिनियम

प्रा०पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2069-72 के अनुसार वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा की कृषि भूमि ख०सं० 662 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा(3.1970 हैक्टे.), ख०सं० 709 रकबा 1 बीघा(0.1619 हैक्टे.) स्थित है। उक्त जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थी सं. 1 का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित था। प्रार्थी ने दिनांक 5.7.2012 को जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अप्रार्थी सं० 1 से प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित भूमि में से अर्थात् ख०सं० 662 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा में निहित अपना हिस्सा 1/2 यानि हिस्सा 197/395 में से 10/197 व सम्पूर्ण में से 10/395 हिस्सा तथा ख०सं० 709 रकबा 1 बीघा में निहित अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 खरीद किया था। अर्थात् ख०सं० 662 में से प्रार्थी ने अप्रार्थी सं० 1 से 10 बिस्वा भूमि एवं ख०सं० 709 में से 10 बिस्वा भूमि खरीद की थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2012 के आधार पर तहसीलदार तालेडा के द्वारा नामान्तरण सं. 973 दिनांक 30.05.2013 प्रार्थी के हम में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी का हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। बल्कि उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरान् में संयुक्त रूप से प्रार्थी का हिस्सा 4/83 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज नहीं कर नामान्तरण में हिस्से की अवैध प्रविष्टि की गई। प्रार्थी दोनो खसरा नम्बरान् में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार 10-10 बिस्वा हिस्सा दर्ज करवाकर इन्द्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। इस बाबत तहसीलदार तालेडा से निवेदन करने पर इनकार कर दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जावे कि ख०सं० 662 रकबा 3.1970 हैक्टे. एवं ख०सं० 709 रकबा 0.1619 हैक्टे. कुल किता 2 कुल रकबा 3.3589 हैक्टे० जो वाके ग्राम जलोदी तहसील तालेडा में विस्थित है उक्त दोनो खसरा नम्बरान् पर प्रार्थी का हिस्सा पृथक- पृथक रूप से विक्रय पत्र दिनांक 5.7.2012 के अनुसार 10 -10 बिस्वा दर्ज कर इन्द्राज दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं० 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र में अंकित तथ्यो को स्वीकार कर इन्द्राज दुरुस्त करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 5.7.2012 से ग्राम जलोदी के ख०सं० 662 रकबा 19.15 बीघा में सम्पूर्ण हिस्से में से 10/395 हिस्सा उच्छबलाल आ० गोरघन जाति जाट के द्वारा उमाशंकर आ० जमनाशंकर जाति ब्राह्मण को विक्रय किया गया। इसी प्रकार जलोदी की ही ख०सं० 709 रकबा 1 बीघा में से खातेदार द्वारा विक्रेता को 1/2 हिस्सा विक्रय किया गया। परन्तु ग्राम जलोदी के नामान्तरण सं. 973 से विक्रय ख०सं० 662 एवं 709 एक ही नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। दोनो खसरों की अलग हिस्सा विक्रय होने से अलग नामान्तरण दर्ज होने थे परन्तु अलग-अलग दर्ज नहीं होने से खाते में अशुद्धि हुई है।

परोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार शुद्धि करने की अनुशंसा की गई।

बहम उमयपक्ष सूनी गई।

6.10.24

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में राजस्व कार्मिको के द्वारा सहवन व गलती से नामान्तकरण दर्ज करते समय हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अलग अलग दर्ज नही कर एक साथ दर्ज करने से त्रुटि हुई है। जिसको दुरुस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है। परोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंभा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत् 2076 खाता सं० नया 10 पुराना 10 ख०सं० 662 रकबा 3.1970 हैक्टे., ख०सं० 709 रकबा 0.1619 हैक्टे. वाके ग्राम वाके ग्राम जलोदी पटवार मण्डल बाजड, नामान्तकरण सं. 973 वाके ग्राम जलोदी, नकल जमाबन्दी खाता सं० नया 10 पुराना 7 वाके ग्राम जलोदी संवत् 2069 एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 से ग्राम जलोदी के ख०सं० 662 रकबा 19.15 बीघा में सम्पूर्ण हिस्से में से 10/395 हिस्सा उच्छबलाल आ० गोरण जाति जाट के द्वारा उमाशंकर आ० जमनाशंकर जाति ब्राह्मण को विकय किया गया। इसी प्रकार जलोदी की ही ख०सं० 709 रकबा 1 बीघा में से खातेदार द्वारा विकेता को 1/2 हिस्सा विकय किया गया। परन्तु ग्राम जलोदी के नामान्तकरण सं. 973 से विकय ख०सं० 662 एवं 709 का एक ही नामान्तकरण दर्ज कर दिया गया है। दोनो खसरो की अलग हिस्सा विकय होने से अलग नामान्तकरण दर्ज होने थे परन्तु अलग-अलग दर्ज नही होने से खाते में अशुद्धि हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में यदि किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश नही हो तो खाता सं० नया 10 पुराना 10 संवत् 2076 वाके ग्राम जलोदी में उमाशंकर का हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 5.7.2012 के आधार पर संशोधित किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।


(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा